

## तिरहुत इतिहास के आइने में : एक अध्ययन

डॉ० विजय कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, लंगट सिंह कॉलेज, मुज०

(बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर)

### सार—संक्षेप

भारतीय इतिहास के विभिन्न काल खंडों में तिरहुत का प्रमुख स्थान रहा है। यह क्षेत्र प्रजातांत्रिक—राजनीतिक प्रणाली, शिक्षा एवं बौद्धिक विकास के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास यात्रा में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आलेख इन पहलुओं को समेटने की कोशिश करता है। जिला मुजफ्फरपुर में छत्तीस परगना और तेरह हजार एक सौ तिरासी गाँव (मौजात) है। नौ लाख छियासठ हजार रुपया माल गुजारी के, तथा दो लाख अस्सी हजार नौ सौ चौहत्तर रुपया एक आना रोड सेस वो पब्लिक वर्क्स के, कुल बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ चौहत्तर रुपया एक आना कलकटरी खजाना में दाखिल होते हैं।

**मुख्य शब्द :** तिरहुत, बौद्धिक विकास, मुजफ्फरपुर, पौराणिक ग्रंथ, मिथिला, तिरभुवित।

भारतीय इतिहास के विभिन्न काल खंडों में तिरहुत का प्रमुख स्थान रहा है। यह क्षेत्र प्रजातांत्रिक—राजनीतिक प्रणाली, शिक्षा एवं बौद्धिक विकास के मुख्य केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि भारतीय इतिहास के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास यात्रा में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह आलेख इन पहलुओं को समेटने की कोशिश करता है। नौ लाख छियासठ हजार रुपया माल गुजारी के, तथा दो लाख अस्सी हजार नौ सौ चौहत्तर रुपया एक आना रोड सेस वो पब्लिक वर्क्स के, कुल बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ चौहत्तर रुपया एक आना कलकटरी खजाना में दाखिल होते हैं।

तिरहुत, जिसे 'तीराभूवित' से व्युत्पन्न बताया गया है, भारत के शुमार

स्थलों में से एक है। इसका एक गौरवशाली अतीत रहा है जिसके राजनीतिक—आर्थिक—सांस्कृतिक उपलब्धियों पर नाज करना देश या राष्ट्र के लिए 'यथोक्ति' स्वभाविक हीं लगता है। तिरहुत की जमीन निहायत सर्दसीर (गुणकारी) हीं हैं।<sup>1</sup>

पौराणिक ग्रंथों के आख्यानों के अनुसार, आधुनिक तिरहुत वाले इस क्षेत्र का सर्वाधिक पुरातन नाम मिथिला हीं प्राप्त होता है, जिसे विदेह नाम से भी अभिहित किया गया है। बदलते नामाकरण की अगली कड़ी के रूप में 'तीराभूवित' या तिरहुत नाम का उल्लेख मिलता है, जो

मिथिला के सापेक्ष बहुत हीं बाद का प्रतीत होता है। वृहदविष्णु पुराण के 'मिथिला महात्मय सर्ग' में मिथिला एवं तीराभूक्ति दोनों नाम के विवरण मिलते हैं। मिथि के नाम पर मिथिला<sup>2</sup> तथा अनेक नदियों के तीर पर स्थित होने से तीरों में भोग (पोषित) होने से 'तीरभूक्ति' नाम माने गए हैं।<sup>3</sup>

तिरहुत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रोचक तथ्य है कि '1903 में मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ (वैशाली) में किए गए उत्खण्ड में जो मुहरे (सील) प्राप्त हुए वह चौथी शताब्दी इस्वी के थे और उसके पाश्व में तीराभूक्ति अंकित<sup>4</sup> होने से स्पष्ट है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय यह एक अलग प्रांत था।

हालांकि मिथिला या तिरहुत के सीमा रेखा का स्पष्ट वर्णन न तो बाल्मीकी रामायण में मिलता है और न हीं पुराणों में। हाँ, बाल्मीकी कृत रामायण, विष्णु एवं मार्कण्डेय पुरान वर्णित करते हैं कि गंगा के उत्तर में दो बड़े राज्य थे— वैशाली और मिथिला।<sup>5</sup> इन दोनों के गंगा के तीर पर अवस्थित होने के चलते इसे सामान्य नाम 'तीराभूक्ति' से अभिहित किया गया, जो कालान्तर में तिरहुत कहलाने लगा।

तिरहुत (मिथिला) कहा जाने वाला गंगा के उत्तरी भाग की सीमा, जो वृहदविष्णु पुराण में वर्णित है, का मैथिली में रूपांतरण करते हुए महाकवि चन्द्रनङ्गा ने लिखा है कि –

"गंगा बहथि जनिक दक्षिण दिशि  
पूर्व कौशिकी धारा ।

पश्चिम बहथि गंडकी उत्तर हिमवत वन विस्तारा ॥

अर्थात्, पूर्व में कोसी से आरम्भ होकर पश्चिम में गंडकी तक 24 योजन तथा दक्षिण में गंगा नदी से आरम्भ होकर उत्तर में हिमालय वन (तराई क्षेत्र) तक 16 योजन मिथिला का विस्तार है। इस प्रकार मिथिला (तिरहुत) सीमा के अन्तर्गत नेपाल का तराई क्षेत्र, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समर्सीपुर, बेगुसराय, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया जिले का प्रायः पुरा भूभाग तथा भागलपुर जिले का आंशिक भूभाग आता है।<sup>6</sup>

गंगा, गंडक तथा कोशी नदियों से घिरे उत्तरी बिहार की उपजाऊ भूमि को तिरहुत कहा जाता था और आज भी कमोवेश यही स्थिति है। यह शब्द 'तीराभूक्ति' से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है नदियों का किनारा। यह क्षेत्र सदियों से हीं सामारिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। गणतंत्र की जननी लिच्छवी गणराज्य, वैशाली का बृजिसंघ, मगध का विशाल साम्राज्य, बुद्ध एवं महावीर जैसे महापुरुषों की यह 'तीराभूक्ति' सदियों से भारत भूमि का आदर्श पेश करती रही है।

इतिहास के सार्वभौमिक नियम 'निरंतरता एवं बदलाव' की चादर ओढ़े हुए तिरहुत के इस भूमि को भी बदलाव एवं विघटन के दौर से गुजरना पड़ा। स्रोत के

अनुसार, चीनी यात्री ह्वेन-सांग (Hiuen-Tsiang) 7वीं शताब्दी में 629 में हर्षवर्धन के समय भारत आया था; ने अपने विवरण में लिखा है कि उसने अपने यात्रा के अंतिम चरण 645 में तिरहुत का भ्रमण किया। उस समय तिरहुत कनौज के शासक हर्षवर्धन 'शिलादित्य' के साम्राज्य का भू-भाग था।<sup>7</sup>

मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार बरनी बताता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1322 ई० में तिरहुत पर आक्रमण किया था। तबसे तिरहुत की स्वतंत्रता जाती रही एवं दिल्ली पर आश्रिता बढ़ी। आगे उसके उत्तराधिकारी फिरोजशाह तुगलक ने कामेश्वर ठाकुर को तिरहुत का अधिपति घोषित किया; उसने ठाकुर वंश की स्थापना करके 16वीं शताब्दी के मध्य तक लगभग दो सौ वर्षों तक राज्य किया।<sup>8</sup>

16वीं शताब्दी के अंत (1590) में लिखित "आईन-ए-अकबरी" तिरहुत का आकर्षक विवरण प्रस्तुत करता है। आईन-ए-अकबरी में तिरहुत के तीन उपखंडों में विभाजन, जो राजस्व संग्रह की सुविधा के लिए किये थे, का स्पष्ट विवरण है। चम्पारण, हाजीपुर एवं तिरहुत में विभाजित इस क्षेत्र से मुगलों को प्रतिवर्ष भू-राजस्व क्रमशः 1,37,835, 6,83,276 एवं 4,79,494 रुपये प्राप्त होता था।<sup>9</sup> औरंगजेब कालीन "मिरात-ए-आलम" में भी तिरहुत का चम्पारण, हाजीपुर, तिरहुत आदि महालों में विभाजित किया गया मिलता है।

ध्यातव्य है कि भारत में मुगल साम्राज्य के पतन एवं ब्रिटिश शासन के आधिपत्य ने राजनीतिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बदल कर रख दिया। स्रोत बताते हैं कि 18वीं सदी के शुरूआत से हीं मुगल प्रभाव तिरहुत से विलुप्त होने लगा था। सदी के उत्तरार्द्ध आते-आते ब्रिटिश सत्ता कायम हुई। ब्रिटिश शासन-तंत्र ने अपने आर्थिक हित एवं राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रांतों एवं बड़े प्रशासनिक इकाईयों का खण्डन-उपखण्डन करना शुरू किया और इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप तिरहुत का न्यूनीकरण करके अनेक जिलों में विभाजित किया गया।

उपरोक्त वर्णित गंगा, गण्डक एवं कोसी के मध्य मैदानी भाग, जो काफी जनसंख्या एवं घनत्व वाला क्षेत्र था, 1856 तक तो बंगाल-प्रेसिडेंसी के अधीन भागलपुर प्रमंडल का अभिन्न अंग था। परन्तु 1855-56 के संथाल 'हुल'(विद्रोह) के बाद तिरहुत को भागलपुर से अलग करके पटना प्रमंडल में सम्मिलित कर दिया गया।

17 नवम्बर, 1874 को गवर्नर जनरल की काँसिल ने तिरहुत को दो भागों में विभाजित कर दिया। पहले भाग का नाम मुजफ्फरपुर रखा तथा दूसरे भाग का नाम दरभंगा। परन्तु इस विभाजन की कमियों को दूर करने के लिए 11 जनवरी, 1875 को बंगाल सरकार के सचिव अगस्टस रिवर्स, थॉम्पसॉन ने 17 नवम्बर, 1874 को कलकता गजट में प्रकाशित अधिसूचना को संशोधित करते हुए नए अधिसूचना के द्वारा - दरभंगा, मधुबनी एवं ताजपुर उपखण्ड,

जो तिरहुत जिला का भाग था, को मिलाकर 'पूर्वी तिरहुत' जिला बनाया गया, जिसका मुख्यालय दरभंगा; तिरहुत के शेष उपखंड मुजफ्फरपुर, हाजीपुर एवं सीतामढ़ी को मिलाकर 'पश्चिमी तिरहुत' जिला और इसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर को बनाया गया। साथ हीं निर्देश था कि यह नई व्यवस्था पहली जनवरी, 1875 से हीं प्रभावी होंगे।<sup>10</sup>

जिला दरभंगा में, ताजपुर डिविजन मिलाकर सरकार के जनगणनानुसार कुल जनसंख्या सत्तरह लाख संतावन हजार नौ सौ पच्चीस है। 31 दिसम्बर, 1879 ईसवी जिला दरभंगा में संतावन परगने और सात हजार चार सौ चौआलिस (7444) गाँव (मौजात) हैं। सात लाख छियासी हजार सात सौ बीस रुपया माल गुजारी, आठ हजार दो सौ तीन रुपया, मालिकाना के, तीन लाख अड़तीस हजार एक सौ अठहत्तर रुपया ग्यारह आना चार पाई रोड सेस वो पब्लिक वर्क्स से, कुछ मिलाकर ग्यारह लाख तीनीस हजार एक सौ एक रुपया ग्यारह आना चार पाई सालाना 1879 ईसवी के अन्त तक कलकटरी खजाना में जमा होते हैं।<sup>11</sup>

जिला मुजफ्फरपुर में छत्तीस परगना और तेरह हजार एक सौ तिरासी गाँव (मौजात) हैं। नौ लाख छियासठ हजार रुपया माल गुजारी के, तथा दो लाख अस्सी हजार नौ सौ चौहत्तर रुपया एक आना रोड सेस वो पब्लिक वर्क्स के, कुल बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ

चौहत्तर रुपया एक आना कलकटरी खजाना में दाखिल होते हैं।<sup>12</sup>

प्रशासनिक सुविधा के मद्देनजर पुनः बंगाल के लेपिटनेंट गर्वनर एंड्स फ्रेजर ने तिरहुत को अलग प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए गर्वनर जनरल से अनुमति माँगी। जनवरी, 1908 में गर्वनर जनरजल लॉर्ड मिंटों से अनुमति के पश्चात पटना से अलग करके तिरहुत प्रमंडल बना जिसमें सारण, चम्पारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगाको शामिल किया गया और मुजफ्फरपुर को मुख्यालय बनाया गया।

वर्तमान मुजफ्फरपुर शहर की स्थापना 1875 के आस-पास मुजफ्फर खान, जो उस समय आमिल (राजस्व अधिकारी) थे, ने की थी। मुजफ्फर खान के नाम पर हीं मुजफ्फरपुर नाम रखा गया था; अतः यह शहर मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाने लगा।<sup>13</sup> आगे चलकर 1972 में सितामढ़ी और वैशाली जिलों को मुजफ्फरपुर से अलग कर दिया गया।<sup>14</sup>

इस प्रकार देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों में वर्णित 'तीराभूक्ति' जिसे तिरहुत भी कहा गया है; किस प्रकार ऐतिहासिक कालखंडों में विभिन्न घात-परिघातों का परिच्छेदन; अपनी राजनीतिक-सांस्कृतिक विरासत का अनुरक्षण करते हुए आधुनिक इतिहास की दहलीज तक पहुँच पायी। परन्तु यह क्रमिक प्रक्रिया ज्यादा दिनों तक न चली। उपनिवेशी शासन की अधिष्ठता एवं लालचपूर्ण आर्थिक हित की आकांक्षा पूर्ति के लिए प्राचीन तिरहुत भूभागों का

उपनिवेशी शासन के द्वारा खण्डन—उपखंडन किया गया और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही; जिसने तिरहुत के अस्तित्व को धूमिल किया। वह तिरहुत

जो कभी सामरिक एवं सांस्कृतिक इकाई का परिचायक हुआ करता था, आज इतिहास के पन्नों में अपना अस्तित्व बचाये रखने हेतु संघर्षरत है।

### **संदर्भ :-**

- 1) बिहारी लाल 'फितरत', आईन—ए—तिरहुत, महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह कल्यानी फाउंडेशन, दरभंगा, दूसरा संस्करण : 2018 (हिन्दी भाग), पृ.—115
- 2) वृहद विष्णुपुराणीय मिथिला—महात्मयम् (सटीक), श्लोक संख्या—47, सम्पादन—अनुवाद—पं० श्री धर्मनाथ शर्मा, प्रकाशन विभाग, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, संस्करण—1980, पृ.—8.
- 3) वृहदविष्णुपुराणीय मिथिला—महात्मयम्, उपरोक्त, श्लोक संख्या—63, पृ०—11
- 4) रिपोर्ट ऑन अर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1903—04, पृ०—8—22.
- 5) देखें, श्याम नारायण सिंह, हिस्ट्री ऑफ तिरहुत, महाराजा कामेश्वर सिंह कल्यानी फाउंडेशन, दरभंगा, 2012, पृ०—1—2.
- 6) देखें, डॉ. उपेन्द्र ठाकुर, मिथिला का इतिहास, मैथिली अकादमी, पटना, द्वितीय संस्करण—1992, पृ.—5
- 7) राइस डेविड्स, ट्रैवेल्स ऑफ युवान—चवांग, वॉल्यूम—II, पेज—63—80.
- 8) श्याम नारायण सिंह, पूर्वोक्त, पृ.—85, मूल से पुरालेखित, वरनी के तारीख—ए—फिरोजशाही।
- 9) आईन—ए—अकबरी, ट्रांसलेटेड वाई जैरेट, कलकत्ता, एडिशन, 1910 देखें, श्याम नारायण सिंह, पूर्वोक्त, पृ०—93 की तालिका।
- 10) लेटर ऑफ एच.जे. रिनॉल्ड्स, सेक्रेटरी टू द गवर्नर्मेंट ऑफ बंगाल, द कलकत्ता गजट, 13 जनवरी 1875.
- 11) बिहार लाल 'फितरत', आईन—ए—तिरहुत, पूर्वोक्त, पृ. 198 से उद्धृत।
- 12) बिहारी लाल 'फितरत', आईन—ए—तिरहुत, उपरोक्त, पृ. 198.
- 13) फैजी, आमिर अफाक अहमद (2009), स्वयं सहायता समूह और सीमांत समुदाय, अवधारण प्रकाशन कम्पनी, आई.एस.वी.एन.—978—81—8069 —621—3 अगस्त, 2022 को ग्रहित।
- 14) लॉ, गिवलिम (25 सितम्बर 2011), "भारत के जिलें" मूल से अगस्त 2022 को ग्रहित।